संख्या–1601 /01(बी)/2017(टीसी–6)

प्रेषक

राजेन्द्र सिंह मौर्य
उपसचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

श्री राकेश कृष्ण,
अपर निदेशक
संस्थागत वित्त महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संस्थागत वित्त विभाग

लखनऊ दिनांक 25 अक्टूबर, 2017

विषय –फसल ऋण मोचन योजनान्तर्गत स्थापित नियंत्रण कक्ष को सुदृढ़ करना।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि विभिन्न स्तरों पर समय–समय पर ''फसल ऋण मोचन योजना'' की प्रगति की समीक्षा सतत् रूप से प्रचलित है। वर्तमान में ''एनपीए समाधान योजना'' भी संचालित है। इन दोनों योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु विभिन्न आख्याओं के अतिरिक्त विभाग द्वारा भिन्न–भिन्न प्रकार के प्रारूप पर सूचना प्राप्त कर उच्च स्तर पर निर्णयार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसके आधार पर अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

शासन के आदेश दिनांक–14 जुलाई, 2017 द्वारा आपको फसल ऋण मोचन योजना के लिए योजना भवन में स्थापित नियंत्रण कक्ष में प्रत्येक कार्य–दिवस में सतत् रूप से उपस्थित रहते हुए कंट्रोल रूम में आ रही कठिनाईयों/जिज्ञासाओं के निराकरण हेतु अधिकृत किया गया है। नियंत्रण कक्ष में आप की अनुपलब्धता की दशा में जो रिपोर्ट्स शासन को उपलब्ध कराई जाती हैं, उनमें त्रुटियां होने के कारण उच्च स्तर पर असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है, जो उचित नहीं है।

उक्त के आलोक में यह निर्णय लिया गया है कि आप द्वारा एनआईसी में श्री राजेश गंगल/श्री ए. पी. सिंह तथा अन्य सुसंगत अधिकारियों से यथावश्यकता

समन्वय करते हुए निम्नानुसार अद्यतन रिपोर्ट्स को अपने पर्यवेक्षण में तैयार कराई जायें। प्रत्येक रिपोर्ट का नमूना इस पत्र के साथ संलग्न है:-

क्र0	रिपोर्ट संख्या	विषय	रिपोर्ट तैयार करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम
1	रिपोर्ट -1	Daily Report NPA (17 Points)	श्री वी के सिंह, उप निदेशक, कृषि
2	रिपोर्ट -2	New Daily Report (c) Report-1 & (d) Report-2	श्री शिव शंकर, उप निदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय
3	रिपोर्ट -3	Report-3 (NPA)	श्री राकेश कृष्ण, अपर निदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय
4	रिपोर्ट -4	Non-NPA Report (Excel Sheet)	श्री प्रमोद कुमार, संयुक्त निदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय
5	रिपोर्ट -5	8 Column NPA Report	श्री वी के सिंह, उप निदेशक, कृषि
6	रिपोर्ट -6	(c) Report (d) Report	श्री राकेश कृष्ण, अपर निदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय

उक्तानुसार तैयार कराई गयी रिपोर्ट्स के परीक्षणोपरान्त दैनिक रूप से आप द्वारा विशेष सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को पूर्वान्ह 11.00 बजे तक नियंत्रण कक्ष में व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराई जायेंगी। इनके आधार पर अग्रिम समीक्षा के बिन्दु निर्धारित किए जाएंगे ताकि योजनाबद्ध ढंग से समयान्तर्गत योजना को पूर्ण किया जा सके।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह मौर्य)

उप सचिव।

संख्या- (1)/01(बी)/2017(टीसी-6), तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. श्री राजेश गंगल/श्री ए.पी. सिंह, तकनीकी निदेशक, एनआईसी, लखनऊ।

3. श्री प्रमोद कुमार, संयुक्त निदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय।

4. श्री शिव शंकर, उप निदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय।

5. श्री वी के सिंह, उप निदेशक, कृषि, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह मौर्य)
उप सचिव

संख्या– 1601 (2)बी/01(बी)/2017 (टीसी–6), तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त के अवगतार्थ उनके निजी सचिव को प्रेषित।
2. महानिदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय।
3. निदेशक, कृषि, उत्तर प्रदेश।
4. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह मौर्य)
उप सचिव